न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

रेफरेन्स संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/03/2016	2016/00086	25.05.2016	16.01.2025

1– मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज विराजमान थानाराजाजी जर्ये तहसीलदार राजगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुबोध कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद ब्राह्मण निवासी थानाराजाजी।
2. प्रबंधक, एस.बी.आई. बैंक राजगढ़।

–अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री राजकीय अभिभाषक – वकील तहसीलदार राजगढ़
2. श्री किशनलाल वर्मा/श्री अजीत कुमार यादव – वकील अप्रार्थी सं0 1

––:: निर्णय ::––

तहसीलदार राजगढ़ ने यह रेफरेन्स प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि रेफरेंस अदालत श्रीमान के सुनवाई के क्षेत्राधिकार में है। आराजी खसरा नम्बर 629 रकबा 0.03 है., 630 रकबा 0.20 है., 631 रकवा 0.66 है., 632 रकबा 0.02 है., 633 रकबा 0.70 है., 633/1031 रकबा 0.06 है., 634 रकबा 0.59 है., 650 रकबा 0.30 है., 651 रकबा 0.06 है., 653 रकबा 0.16 है., हाल जमाबन्दी सम्वत 2068–71 के खाता नम्बर 344 में सुबोधकुमार पुत्र जगदीशप्रसाद जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। उक्त खातेदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 780 दिनाँक 08.12.2011 के जर्ये उपरोक्त खसरा नम्बरान एस.बी.आई बैंक शाखा राजगढ़ के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। मिलान क्षेत्र संवत् 2046 के अनुसार ख.नं. 629 के साबिक नंबर 259, 630 के साबिक नंबर 251, 631 के साबिक नंबर 258, 632 के साबिक नंबर 248, 633 के साबिक नंबर 248, 634 के साबिक नंबर 235 व 236, 650 के साबिक नंबर 238, 651 के साबिक नंबर 237, 653 के साबिक नंबर 246 एवं 633/1031 के साबिक नंबर 247 है। ग्राम थाना के साबिक खसरा नम्बर 247, 235, 237, 238, 246 ग्राम थाना की जमाबन्दी सम्वत 2014 के खाता नंम्बर 164 के कॉलम नम्बर 4 में माफी मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज बहतमाम पुजारी जगदीशप्रसाद पुत्र विद्याधर ब्राह्मण सा. देह दर्ज रेकॉर्ड है। कॉलम 5 में खुदकाश्त माफीदार दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी के खाता नम्बर खसरा नम्बर 236, 248, 258, 259 के कॉलम नम्बर 4 में माफी मन्दिर श्री सीतारामजी ई.न. 164 व कॉलम नम्बर 5 में भौंरया पुत्र खैराती कौम माली सा. देह मु.1 साल दर्ज रेकॉर्ड है। ग्राम थाना की जमाबन्दी सम्वत 2017 के खाता नम्बर 212 में साबिक खसरा नम्बर 235, 236, 238, 248, 258, 259 के कॉलम नम्बर 4 में मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज बहतमाम पुजारी जगदीशप्रसाद पुत्र विद्याधर ब्राह्मण सा. देह दर्ज रेकॉर्ड है। ग्राम थाना की जमाबन्दी सम्वत 2022 के खाता नम्बर 212 में खसरा नम्बर 237, 246, 247 के कॉलम नम्बर 5 में श्री यशवन्तसिंह पुत्र श्री तेजसिंह राजपूत सा. देह शिकमी दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी के खाता सं. 211 में खसरा नम्बर 235, 236, 238, 248, 258, 259 के कॉलम सं. 4 में माफी मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज बहतमाम पुजारी जगदीशप्रसाद पुत्र विद्याधर ब्राह्मण सा. देह माफीदार व कॉलम नम्बर 5 में खुदकाश्त दर्ज रेकॉर्ड है। ग्राम थाना के जमाबन्दी सम्वत 2025 के खाता नम्बर 69 में खसरा नम्बर 237, 246, 247 के कॉलम संख्या 4 में राजस्थान सरकार व कॉलम नम्बर 5 में जगदीश बशरह खाता नम्बर 68 खातेदार मार्फत श्री यशवन्तसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह महाराजदेव श्री तेजसिंह जी राजपूत सा. देह हाल विजयमन्दिर पैलेस अलवर शिकमी दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी के खाता सें. 68 में खसरा नम्बर 235, 236, 238, 248, 258, 259 के कॉलम सं. 4 में जगदीशप्रसाद पुत्र विद्याधर ब्राह्मण सा.देह

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

खातेदार व विशेष विवरण कॉलम में ई.न. 23 किस्म जप्ति माफी दर्ज रेकॉर्ड है। ग्राम थाना की जमाबन्दी सम्वत 2029 के खाता नम्बर 68 में खसरा नम्बर 235, 236, 238, 248, 258, 259 के कॉलम कोलम सं. में जगदीशप्रसाद पुत्र विद्याधर ब्राह्मण सा. देह खातेदार व विशेष विवरण कॉलम में ई.न. 92 किस्म विरासत जगदीशकुमार–सुबोधकुमार का नोट दर्ज रेकार्ड है व खाता सं. 69 के खसरा नम्बर 237, 246, 247 में कोलम सं. 5 में जगदीशप्रसाद बशरह खाता नम्बर 68 खातेदार मार्फत श्री यशवन्तसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह महाराजदेव श्री तेजसिंह जी राजपूत सा.देह अलवर विजय मन्दिर पैलेस अलवर दर्ज रेकॉर्ड है। ग्राम थाना की जमाबन्दी सम्वत 2033 के खाता नम्बर 60 में खसरा नम्बर 235, 236, 238, 248, 258, 259 के कॉलम नम्बर 5 में सुबोधकुमार बेटा जगदीशप्रसाद ब्राह्मण सा.देह खातेदार व विशेष विवरण कॉलम में ई.न. 92 किस्म विरासत दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी के खाता सं. 60 में खसरा नम्बर 237, 246, 247 के कॉलम न. 4 में राजस्थान सरकार व कॉलम नं. 5 में सुबोधकुमार बशरह खाता नम्बर 69 मार्फत श्री यशवन्तसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह महाराजदेव श्री तेजसिंह जी राजपूत सा. देह अलवर विजयमन्दिर पैलेस अलवर व विशेष विवरण कोलम नं. 16 में नामान्तरकरण सं. 92 किस्म विरासत का नोट दर्ज रेकॉर्ड है। ग्राम थाना के नामा0 सं. 23 के कॉलम नंबर 2/211 लगायत 214 व कॉलम नंबर 4 में माफी मंदिर श्री सीताराम जी महाराज बहतमाम पुजारी जगदीश प्रसाद पुत्र विद्याधर ब्राह्मण सा.देह माफीदार व कॉलम नम्बर 5 में खुदकाश्त व कॉलम 6 में किता 11/15 बीघा 12 बिस्वा व कॉलम नम्बर 7 में माल 71.69 रुपये व कालम नम्बर 8 में 1/68 लगायत 70 व कॉलम नम्बर 10 में सरकार व कॉलम नम्बर 11 में खुदकाश्त जगदीश प्रसाद ब्राह्मण सा.देह माफीदार व कॉलम नम्बर 12 में किता 10 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा व कॉलम न.13 में माल 71.69 रुपये व कॉलम नम्बर 14 में जप्ती माफी भोग खर्च दर्ज रेकार्ड है। दिनाँक 11.01.2016 को भू0अभिलेख निरीक्षक थानाराजाजी व पटवारी हल्का थानाराजाजी द्वारा ग्राम थाना के आराजी खसरा नम्बर 629, 630, 631, 632, 633, 633/1031, 634, 650, 651, 653 की प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 629 रकबा 0.03 हैक्टे. किस्म गै.मु. चाह है, जिस पर सुबोधकुमार का कब्जा है। ख.न. 630 रकबा 0.20 है., 631 रकबा 0.66 है., 632 रकबा 0.02 है., 633 रकबा 0.70 है., 633/1031 रकबा 0.06 है., 634 रकबा 0.59 है. पर सुबोधकुमार द्वार सरसों की फसल बो रखी है व ख.न. 650 रकबा 0.30 है. में सबोधकुमार द्वारा मौके पर पक्की दीवार बनाकर प्लाटिंग की जा रही है व ख.न. 651 रकबा 0.06 है. गै.मु. रास्ता है, जौ धौलीवाल का बास को जारहा है। ख.न. 653 रकबा 0.16 है. गै.मु. आबादी दर्ज रेकार्ड है व मौके पर अहीरों की आबादी बनी हुई है। उक्त आराजी को रैफरेन्स स्वीकार कर मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी महाराज विराजमान ग्राम थानाराजाजी दर्ज किया जावे।

रेफरेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा रैफरेन्स के समर्थन में अपना लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि आराजी एस.बी.आई बैंक शाखा राजगढ़ मे रहन है। आराजी रहन पक हो चुकी है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 247, 235, 237, 238 246, 236, 248, 258, 259 संवत् 2012 से पूर्व अप्रार्थी का पिता जगदीश प्रसाद खुद काश्त करता था। ग्राम थाना जागीरदारी का गांव था। भूमि कभी भी सीताराम जी महाराज मन्दिर माफी की नहीं रही, और ना ही कोई भोग खर्च हेतु जागीरदार ने मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज के नाम माफी मे थी बल्कि जगदीश प्रसाद पुजारी को माफी मे दी थी जिस पर काबिज होकर जागीरदार के समय से काश्त करता आ रहा है, कानूनन खातेदारी दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी कभी मन्दिर मूर्ति सीताराम जी महाराज के नाम नहीं थी और ना ही उक्त भूमि मन्दिर माफी की मन्दिर के नाम दर्ज थी। विवादित आराजी अप्रार्थी के पिता को माफी मे प्राप्त हुई थी। और खुद काश्त होने से सम्वत 2012 मे खातेदारी कानून प्राप्त हो गये। क्योकि विवादित आराजी कभी मन्दिर मूर्ति की भूमि नही रही और ना मन्दिर से उक्त भूमि का कोई सम्बन्ध सरोकार रहा, और ना ही है तो मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नही है। हाल आराजी खसरा नम्बर 629, 630, 631, 632, 633, 633/1031, 634, 650, 651, 653, किता 10 रब्बा 2.78 हैक्टेयर साबिक खसरा नंबर 235, 236, 237, 238, 245, 247, 248, 258, 259, किता 9 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम थाना तह० राजगढ़ जिला अलवर को कभी भी मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज को नहीं दी गई थी बल्कि उक्त मन्दिर के पुजारी श्री जगदीश प्रसाद को दी गई थी जो जमाबन्दी सम्वत 2017 मे दर्ज है। जिसका सम्पूर्ण विवरण खाता संख्या 212 से होता है। जमाबन्दी सम्वत 2012 मे जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम फोर्स मे आया तब उक्त आराजी पर स्व. श्री जगदीश प्रसाद की खुद की काश्त

26.1.15
अति. संभागीय आयुक्त कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

दर्ज थी। इस प्रकार जमीदारी उन्मूलन के समय जो व्यक्ति कब्जे–काश्त मे था और भूमि जो ठाकुर जी की खुद काश्त मे दर्ज नहीं थी वो भूमियां उक्त अधिनियम की धारा 19 के अनुसार स्वतः ही उस व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज हो गई जो वक्त उस समय अधिनियम के प्रभाव मे आने की तिथि को कब्जे काश्त मे दर्ज था और मूर्ति के सभी अधिकार समाप्त हो गये थे। इसी प्रकार राजस्थान अधिकृ र्ती अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जो अभिधारी राजस्व रिकार्ड मे किसी भी रूप में दर्ज है वह अधिधारी खातेदार हो जाता है। चाहे वह भूमि देव मूर्ति की ही क्यो ना हो। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2012 के अनुसार जगदीश प्रसाद जो कि मुताबिक माफीदार आराजी को खुद काश्त करता था। माफी केवल पुजारी के नाम है। इस प्रकार धारा 17(क) का राज. काश्तकारी अधिनियम के अनुतार प्रत्येक जमीदार या बिस्वेदार जिसकी सम्पदा राजस्थान जमीदार और बिस्वेदार उत्साधन अधिनियम के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गई ऐसी निहित होने की तारीख को अपने अधियोग मे की खुद काश्त भूमि का उस अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत मालिक हो गया इसलिए यह रेफरेन्स खरिज होने योग्य है। तहसीलदार साहब राजगढ़ ने यह रेफरेन्स अप्रार्थी के विरोधियों के प्रभाव में आकर खिलाफ रिकार्ड, खिलाफ कानून खिलाफ मौका तथ्य दर्ज कर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अपार्थी के विरोधियो द्वारा विवादित आराजी बाबत एक वाद बअनुवान मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज जर्ये उपासक गोपाल मिश्रा नि० राजगढ बनाम सुबोध कुमार न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ़ मे दावा इस्तकरारहक्क मय दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया है जो विचाराधीन है। कानून रैफरेन्स कार्यवाही से किसी की खातेदारी भूमि को मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है जो वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ मे विचाराधीन है, इसलिऐ यह रेफरेन्स खारिज होने योग्य है।

राजकीय अभिभाषक द्वारा तहसीलदार राजगढ़ के माध्यम से पेश रेफरेन्स प्रकरण में अंकित बिन्दुओं को स्वीकार करते हुये रेफरेन्स प्रकरण को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। ग्राम थाना के साबिक खसरा नम्बर 247, 235, 237, 238, 246 ग्राम थाना की जमाबन्दी सम्वत 2014 के खाता नंम्बर 164 के कॉलम नम्बर 4 में माफी मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज बहतमाम पुजारी जगदीशप्रसाद पुत्र विद्याधर ब्राह्मण सा. देह दर्ज रेकॉर्ड है। कॉलम 5 में खुदकाश्त माफीदार दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी के खाता नम्बर खसरा नम्बर 236, 248, 258, 259 के कॉलम नम्बर 4 में माफी मन्दिर श्री सीतारामजी ख. न. 164 व कॉलम नम्बर 5 में भौंरया पुत्र खैराती कौम माली सा. देह मु.1 साल दर्ज रेकॉर्ड है। ग्राम थाना की जमाबन्दी सम्वत 2017 के खाता नम्बर 212 में साबिक खसरा नम्बर 235, 236, 238, 248, 258, 259 के कॉलम नम्बर 4 में मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज बहतमाम पुजारी जगदीशप्रसाद पुत्र विद्याधर ब्राह्मण सा. देह दर्ज रेकॉर्ड है। ग्राम थाना की जमाबन्दी सम्वत 2022 के खाता नम्बर 212 में खसरा नम्बर 237, 246, 247 के कॉलम नम्बर 5 में श्री यशवन्तसिंह पुत्र श्री तेजसिंह राजपूत सा. देह शिकमी दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी के खाता सं. 211 में खसरा नम्बर 235, 236, 238, 248, 258, 259 के कॉलम सं. 4 में माफी मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज बहतमाम पुजारी जगदीशप्रसाद पुत्र विद्याधर ब्राह्मण सा. देह माफीदार व कॉलम नम्बर 5 में खुदकाश्त दर्ज रेकॉर्ड है। इससे स्पष्ट है कि बन्दोबस्त द्वारा मन्दिर माफी का इन्द्राज हटाया गया है। मूर्ति नाबालिग शाश्वत होने के कारण उसकी भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अतः तहसीलदार राजगढ़ द्वारा पेश रैफरेंस प्रा०पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र रैफरेन्स स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 629, 630, 631, 632, 633, 633/1031, 634, 650, 651, 653 किता 10 रकबा 2.78 हैक्टेयर वाके ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ़ से अप्रार्थी का नाम कलमजन किया जाकर माफी मंदिर श्री सीताराम जी महाराज वाके ग्राम थानाराजाजी के नाम दर्ज करने की अभिशंषा के साथ माननीय निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्व अजमेर को भिजवाई जावे।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)